-प्रेस नोट-

दिनांक- 31.01.2026

!! सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही!!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया सीज

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ।

अभियान के क्रम में आज दिनांक ***31.01.2026*** *को चेकिंग के दौरान पठेड चैक पोस्ट पर 01 वाहन ट्रैक्टर-ट्राली चेचिस नं0 MBNBEBBAZSHC10285 को पकडा गया पकड़े गए उक्त ट्रैक्टर चालक अर्जुन के द्वारा उपरोक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली मे बिना किसी खनिज परिपत्र के ओवरलोड खनन सामग्री भरकर परिवहन किया जा रहा था । उक्त वाहन ट्रैक्टर-ट्रॉली को* ***सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।***

वाहनों का विवरण

ट्रैक्टर-ट्राली चेचिस नं0 MBNBEBBAZSHC10285

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. *थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
4. *संग्रह अमीन श्री अशोक कुमार तहसील सदर जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 31.01.2026

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***मोहित पुत्र शेरसिंह नि0ग्राम नथमलपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0-2275/24 धारा 125(3),144(3) सीआरपीसी मा0 न्या0 प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर) व वाद सं0- 5123/25 धारा 498ए/323 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट चालानी थाना सरसावा न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) को ग्राम नथमलपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोहित पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम नथमलपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.01.2026

थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 10,000/-रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी

घटना का विवरणः-

दिनांक 26.12.2025 को पीड़ित मौ0 शादाब पुत्र मौ0 शमीम अहमद निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल 1930 पर अपने साथ 10000/-रूपये की ठगी हो जाने के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत सं० 23112250212490 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाहीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 23112250212490 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड में गई 10,000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर कोतवाली नगर पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. *निरीक्षक श्री मुमताज खान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*
2. *व0उ0नि0 श्री मानसिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*
3. *कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 31.01.2026

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30/01/2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 26/01/2026 व इससे पूर्व करीब दो माह पहले भी अभियुक्त आजम पुत्र साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा घरवालो की अनुपस्थिति में वादी के घर में घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना तथा किसी को बताने पर डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गंगहो पर मु0अ0स0 66/26 धारा 64(2)/एम,351(3) बीएनएस व 5एल/6 पोस्को अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(m) बीएनएस का विलोपन कर धारा 333/65(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31/01/26 को अभियुक्त ***आजम पुत्र साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहानपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर गंगोह सहारनपुर रोड पर निर्माणाधीन हाईवे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आजम पुत्र साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. *उ0नि0 श्री दीपक राठी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*
2. *हे0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*

दिनांकः 31.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.26 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोनू पुत्र सुभाष शर्मा नि0 ग्राम अम्बेहटी थाना नकुड जिला सहारनपुर द्वारा वादी की बहन के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 57/26 धारा 333/64(2)(k) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

*पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मोनू पुत्र सुभाष शर्मा निवासी ग्राम अम्बेहटी थाना नकुड जिला सहारनपुर** को ग्राम अम्बेहटी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू पुत्र सुभाष शर्मा नि0 ग्राम अम्बेहटी थाना नकुड जिला सहारनपुर।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।*
2. *म0उ0नि0 श्रीमती मनवीरी थाना नकुड सहारनपुर।*

दिनांक: 31.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.01.2026 को वादी श्री अमन कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP11BV0170 हीरो स्पेलण्डर को अज्ञात चोर द्वारा ग्रामीण बैंक दिल्ली रोड नानौता के सामने से चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 18/26 धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 31.01.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्त ***1.विशेष पुत्र योगेश निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 2. भानू पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*** *को चोरी की मोटर साइकिल के साथ संगमनहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटर साइकिल के अतिरिक्त* ***02 अन्य चोरी की मोटर साइकिल भी बरामद हुई।*** *अभियुक्तों के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमने कुछ दिन पहले हमने मिलकर ग्रामीण बैंक दिल्ली रोड नानौता से एक सिल्वर रंग की स्पलेण्डर चोरी की थी तथा 02-03 दिन पहले एक मोटर साईकिल स्पेलण्डर व एक माह पहले शांकुम्भरी मां के मेले से एक मोटर साईकिल स्पेलण्डर चोरी की थी, जिनको हम बेचने की फिराक मे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *विशेष पुत्र योगेश निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।*
2. *भानू पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

- *01 मोटर साइकिल (रजि0 नं0 UP 11BV 0170 हीरो स्पेलण्डर रंग सिल्वर)*
- *01 मोटर साइकिल (हीरो स्पेलण्डर बिना नंबर)*
- *01 मोटर साइकिल (हीरो स्पेलण्डर रजि0 नं0 PB 91M 3952)*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 जसपाल सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 उपेन्द्र राणा थाना नानौता जनपद सहानरपुर।*
4. *है0का0 729 उपेन्द्र तोमर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
6. *है0का0 1315 राहुल थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 31.01.2026

-प्रेस नोट-

<u>पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा 03 अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.05.2008 को थानाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगणों 1.दिलशाद पुत्र मानुददीन नि0 रायसी थाना लक्सर हरिद्वार 2.इरफान उर्फ कल्लू पुत्र यासीन नि0 हरोडा थाना गागलहेडी सहारनपुर 3.राजेश पुत्र सेवाराम नि0 भूरना थाना लक्सर हरिद्वार द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-75/2008 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-149/2008 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 31.01.2026 को अभियुक्तगण 1.दिलशाद पुत्र मानुददीन नि0 रायसी थाना लक्सर हरिद्वार 2.इरफान उर्फ कल्लू पुत्र यासीन नि0 हरोडा थाना गागलहेडी सहारनपुर 3.राजेश पुत्र सेवाराम नि0 भूरना थाना लक्सर हरिद्वार को थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0स0-75/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह
विवेचक-रिटा0 निरीक्षक श्री दाताराम नानौरिया
पैरोकार-का0 1860 दुष्यंत कुमार थाना नागल सहारनपुर।